"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2016—आषाढ़ 3, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सूरज कुमार हरमुख आत्मज श्री ओंकारेश्वर सिंह हरमुख, उम्र 27 वर्ष निवासी-एच-2/38, सड़क नं. 06, पांच बिल्डिंग सिविल लाईन, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र (कक्षा 10 वीं एवं 12वीं) में मेरा नाम सूरज कुमार पिता श्री ओंकारेश्वर तथा माता का नाम अमिता हरमुख दर्ज है तथा मेरे कक्षा बी. ई. के प्रमाण पत्र में मेरा नाम सूरज कुमार हरमुख पिता श्री ओंकारेश्वर सिंह दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "हरमुख" जोड़कर नया नाम/उपनाम सूरज कुमार हरमुख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सूरज कुमार हरमुख पिता श्री ओंकारेश्वर सिंह हरमुख के नाम से जाना पहचाना पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सूरज कुमार
पिता श्री ओंकारेश्वर
निवासी- एच.-2/38, सड़क नं. 06,
पांच बिल्डिंग सिविल लाईन, दुर्ग
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सूरज कुमार हरमुख
पिता श्री ओंकारेश्वर सिंह हरमुख
निवासी- एच.-2/38, सड़क नं. 06,
पांच बिल्डिंग सिविल लाइन, दुर्ग
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामचन्द्र आडिल पिता स्व. श्री गैंदूराम, उम्र 51 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 3, स्ट्रीट नं. 5, शिवाजी नगर, कुरूद रोड कोहका भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रामचन्द्र अंकित है तथा मेरे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा नाम रामचन्द्र आडिल अंकित है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "आडिल" जोड़कर नया नाम/उपनाम रामचन्द्र आडिल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे रामचन्द्र आडिल पिता स्व. श्री गैंदूराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
रामचन्द्र पिता स्व. श्री गैंदूराम निवासी-प्लाट नं. 3, स्ट्रीट नं. 5, शिवाजी नगर, कुरूद रोड, कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	रामचन्द्र आडिल पिता स्व. श्री गैंदूराम निवासी-प्लाट नं. 3, स्ट्रीट नं. 5, शिवाजी नगर, कुरूद रोड, कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामचन्द्र आडिल पिता स्व. श्री गैंदूराम, उम्र 51 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 3, स्ट्रीट नं. 5, शिवाजी नगर, कुरूद रोड कोहका भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड के नामिनेशन पत्र में मेरी पत्नी का नाम श्रीमती सावित्री बाई अंकित है तथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं पेनकार्ड में मेरी पत्नी का नाम श्रीमती सावित्री आडिल अंकित है. मैं अपनी पत्नी के नाम के साथ उपनाम "आडिल" जोड़कर नया नाम/उपनाम श्रीमती सावित्री आडिल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पत्नी को श्रीमती सावित्री आडिल पति श्री रामचन्द्र आडिल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती सावित्री बाई पति श्री रामचन्द्र निवासी-प्लाट नं. 3, स्ट्रीट नं. 5, शिवाजी नगर, कुरूद रोड, कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती सावित्री आडिल पति श्री रामचन्द्र आडिल निवासी-प्लाट नं. 3, स्ट्रीट नं. 5, शिवाजी नगर, कुरूद रोड, कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोपाल कुर्रे आत्मज श्री मेहत्तर कुर्रे, उम्र 58 वर्ष, निवासी–क्वा. नं. 1/डी, जोन 1, खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गोपाल लिखा हुआ है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "कुर्रे" जोड़कर नया नाम /उपनाम गोपाल कुर्रे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे गोपाल कुर्रे आत्मज श्री महेत्तर कुर्रे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
गोपाल आत्मज श्री महेत्तर कुर्रे निवासी–क्वा. नं. 1/डी, जोन 1, खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	गोपाल कुर्रे आत्मज श्री महेत्तर कुर्रे निवासी–क्वा. नं. 1/डी, जोन 1, खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष जैन पिता श्री बाबूलाल जैन, निवासी–ऋषभ नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र श्रीयक जैन का जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर मृत्यु रजिस्टर (जन्म मृत्यु) दुर्ग द्वारा जारी किया गया है जिसके जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम संतोष जैन अंकित है तथा मेरे पुत्र का नाम श्रीयक दुग्गड़ अंकित है. मैं अपने पुत्र का उपनाम "दुग्गड़" को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम श्रीयक जैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को श्रीयक जैन पिता श्री संतोष जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीयक दुग्गड़ पिता श्री संतोष जैन निवासी–ऋषभ नगर, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीयक जैन पिता श्री संतोष जैन निवासी–ऋषभ नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय लोक न्यास का पंजीयक, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद जिला महासमुंद छ. ग.

महासमुंद, दिनांक 28 मई 2016

प्ररुप क्र. 4
[देखे नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक/130/2016 क/लो. न्या. पंजी/2016/कले. महो.— यत: कि श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर पिता मयाराम ठाकुर उम्र 71 वर्ष निवासी ग्राम भलेसर तहसील व जिला महासमुंद ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2016 के जून 28 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिखा जाएगा.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद जिला महासमुंद का लोक न्यायों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 28 जून 2016 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जॉच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियो को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"शहीद वीरनारायण सिंह सर्व आदिवासी चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम व तहसील व जिला महासमुंद छ. ग." स्वाध्याय भवन, कॉलेज रोड, ग्राम व तहसील व जिला महासमुंद
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम गौरखेडा स्थित भूमि खसरा नम्बर 247 रकबा 1.85 हे.

शिवकुमार तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.)

धरमजयगढ़, दिनांक 4 जून 2016

क्रमांक/2016/133.—वन परिक्षेत्र अधिकारी धरमजयगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/383 दिनांक 07-05-2016 द्वारा सूचित किया गया है कि मार्किंग हेमर 011 DG तत्कालीन परिसर रक्षक गेरसा श्री उदय प्रकाश पटेल को उक्त पासिंग हेमर का प्रदाय किया गया था जिसे तत्कालीन परिसर रक्षक श्री उदय प्रकाश पटेल द्वारा गुमा दिया गया है. हेमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे हैं.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा मार्किंग हेमर 011 DG को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. हेमर की कीमत स्टोर स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान बाजार मूल्य लगभग रु. 250.00 (दो सौ पचास मात्र) तत्कालीन परिसर रक्षक गेरसा श्री उदय प्रकाश पटेल से वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है,

011
DG

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो हेमर निकटतम थाना अथवा वन मण्डल कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एस. एस. कंवर,
वन मण्डलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 10 मई 2016

क्र. /उपं. दु./परिसमापन/2016/441 .—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत छ. ग. पिपुल्स साख सहकारी समिति मर्या. अंडा पं. क्रमांक, 2919 दिनांक 03-06-2009 जिला दुर्ग को कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक 182 दुर्ग दिनांक 15-01-2015 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा जवाब/उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसका परीक्षण श्री एच. आर. चन्द्राकर, व. स. नि., दुर्ग से कराया गया. श्री चन्द्राकर ने अपने प्रतिवेदन में संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने की सिफारिश किया है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. पिपुल्स साख सहकारी समिति मर्या. अंडा पं. क्रमांक 2919 दिनांक 03-06-2009 जिला दुर्ग को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एच. आर. चन्द्राकर, व. स. नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 1 जून 2016

क्रमांक /परि./2016/1805 .—छ. ग. उच्च न्यायालय आवास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 264 दिनांक 16-12-2008, जिला बिलासपुर, को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2016/1584 दिनांक 07-05-2016 के द्वारा दिया गया था. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब पत्र अनुसार संस्था के सदस्य छ. ग. राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ है अतः संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है. का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. उच्च न्यायालय आवास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 264 दिनांक 16-12-2008, जिला बिलासपुर, को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी समितियां, जिला-बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 1 जून 2016

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक /उ. प.ज./परिसमापन/2016/495 .—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/119 दिनांक 11-02-2016 के द्वारा बस्तर जिला भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख संस्था जगदलपुर विकासखंड जगदलपुर जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./बी. टी. आर./86 दिनांक 20-07-1988 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियॉं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार, स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 01-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.